ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS.

સેંટર ઓફ ઈંડીયન ટ્રેડ યુનીયન્સ

भारतीय ट्रेड युनियन केन्द्र

সেন্টার অফ ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস্

ಭಾರತೀಯ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೇಂದ್ರ

চেন্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ইউনিয়নচ

سنٹر آف انڈین ٹریڈ یونینس

ସେଣ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନସ

సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్

സെന്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ്

இந்தியத் தொழிற்சங்க மையம்

भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र

का

संविधान

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सी. आइ. टी. यू)

का

संविधान

(9-13 दिसम्बर, 2003 को चेन्नई में आयोजित सी.आइ.टी.यू. के दसवें महाधिवेशन द्वारा पारित संशोधन के पश्चात्)

नाम

1. *संस्था का नाम भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र होगा। (संक्षेप में इसे सी.आइ .टी .यू कहा जायेगा)*

2. *सी. आइ. टी. यू. का झण्डा लाल रंग का होगा, इसके बीच में सफेद रंग से हंसिया और हथौड़ा अंकित होगा, बांयी ओर से नीचे की ओर सी. आइ. टी. यू. (CITU) अक्षर अंकित होगा।*

लक्ष्य और उद्देश्य

3. (A) *सी.आइ.टी.यू. का विश्वास है कि उत्पादन, वितरण एवं विनियम के सभी साधनों के समाजीकरण तथा समाजवादी राज्य की स्थापना के द्वारा ही मजदूर वर्ग के शोषण का अन्त किया जा सकता है। समाजवाद के आदर्श के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ सी. आइ. टी. यू. सभी प्रकार के शोषण से पूर्णतया मुक्त समाज का समर्थक है।*

(B) (a) *सी.आइ.टी.यू. मजदूरों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर होने वाले सभी प्रकार के हमलों के विरुद्ध हड़ताल करने के अधिकार सहित उनके सभी समाजवादी और ट्रेड यूनियन आंदोलनों के आधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए संघर्ष करता है।*

(b) सी.आइ.टी.यू. गुप्त मतदान के आधार पर ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए संघर्ष करता है।

(c) सी.आइ.टी.यू. वेतनों में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए, काम के घंटों को घटाने के लिए, सुन्दर आवास-व्यवस्था के लिए मजदूरों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए संघर्ष करता है।

(d) सी.आइ.टी.यू सम्पूर्ण रोजगार की रक्षा, काम करने के अधिकार के लिए बेरोजगारी की सभी कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष करता है।

(e) सी.आइ.टी.यू बीमार, / दुर्घटना और वृद्धावस्था से मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, सम्पूर्ण एवं पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा

अधिनियमों के लिए, विधवा हो गई माताओं एवं आश्रित बच्चों के लिए पर्याप्त पेन्शन, पर्याप्त मातृ बीमा की व्यवस्था तथा अन्य प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के लिए, प्राविडेन्ट फन्ड तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगमों पर मजदूरों के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए संघर्ष करता है।

(f) सी.आइ.टी.यू. समान काम पर समान वेतन के लिए संघर्ष करता है।

(g) सी.आइ.टी.यू. रोजगार, वेतन तथा प्रोन्नति के मामले में छुआ-छूत, स्त्री-पुरुष तथा धर्म पर आधारित पक्षपात को मिटाने के लिए संघर्ष करता है।

(h) सी.आइ.टी.यू अल्पसंख्यकों के जनवादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है।

(i) सी.आइ.टी.यू सामूहिक कामों के स्थानों पर वहां के कामकाजी स्थितियों को नियंत्रित करने की दृष्टि से कारखानों,कार्यशालाओं,व्यापार संस्थानों तथा अन्य स्थानों में समितियों का गठन करने के लिए संघर्ष करता है।

(j) सी.आइ टी.यू समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संघर्ष करता है।

(k) सी.आइ.टी.यू निरक्षरता के उन्मूलन के लिए संघर्ष करता है।

(l) सी.आइ.टी.यू जहां यूनियन न हो वहां मजदूरों की यूनियनें बनाने में सहायता देता है और एक ही उद्योग में समान्तर यूनियनों को एक यूनियन में लाने के लिए मजदूरों को संगठित करने के लिए संघर्ष करता है।

(C) (a) मजदूर वर्ग को तात्कालिक हितों के संघर्ष में सी आइ.टी.यू मांग करता है कि:

(1) हमारे मजदूर वर्ग का बबर्रतापूर्ण शोषण करने वाले सभी विदेशी इजारेदार संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(2) सभी भारतीय इजारेदार तथा बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, जो मजदूरों के मूल्य पर भारी आय अर्जित करते है, जो ऊंची कीमतों के बूते जनता का शोषण करते हैं और जो सरकार की जन विरोधी तथा मजदूर विरोधी नीतियों को निर्देशित करते हैं।

(b) सी.आइ.टी.यू. जनवादी ट्रेड यून्यिन आंदोलनों के प्रति सरकार की दमनकारी नीति के विरुद्ध संघर्ष करता है; वह पूंजीपतियों और जमींदारों की हित रक्षा करने वाली आर्थिक नीतियों के विरुद्ध और करों को बढ़ा कर तथा मुद्रास्फीति द्वारा जनसाधारण एवं मजदूर वर्ग पर बोझ लादे जाने के विरुद्ध लड़ता है,वह मौजूदा पूंजीवादी-सामन्ती व्यवस्था के स्थान पर जनता की जनवादी व्यवस्था के लिए संघर्ष करता है।

(D) (1) <u>इस उद्देश्य के लिए :</u>

(a) जनता के अन्य भागों की जनवादी मांगों का समर्थन करते हुए सी.आइ.टी.यू. वर्तमान पूंजीवादी-सामंती व्यवस्था के स्थान पर जनता की जनवादी व्यवस्था के निर्माण के समान संघर्ष में अन्य जनवादी शक्तियों और संगठनों के सहयोग की अपेक्षा करता है।

(b) सी.आइ.टी.यू. देश की अर्थ व्यवस्था की अमरीकी और अन्य विदेशी इजारेदार पूंजी पर बढ़ती निर्भरता तथा बढ़ते विदेशी ऋणों, जिससे मजदूर वर्ग का शोषण बढ़ता जा रहा है तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है,के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है।

2. भूमि के लिए, महाजनी लूट, लगान तथा ऊंचे करों के विरुद्ध संघर्ष में सी.आइ.टी.यू किसानों और खेतिहर मजदूरों के साथ सहयोग के सम्बन्धों को प्रोन्नत करता है और कृषि-क्रांति की शक्तियों के पक्ष में हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है और खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि तथा अच्छी कामकाजी स्थितियों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन प्रदान करता है। सी.आइ.टी.यू. का विश्वास है कि मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थितियों में स्थायी सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक भूमि के सामन्ती सम्बन्धों का पूर्णतया उन्मूलन न कर दिया जाय और बड़े जमींदारों की भूमि सम्बन्धी इजारेदारी का अन्त न कर दिया जाय।

3. समाजवाद के संयुक्त संघर्ष में सी.आइ.टी.यू. दूसरे देशों के मजदूरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकता को प्रोन्नत करता है,समाजवादी देशों के मजदूरों और उनकी जनता के साथ भाईचारे के सम्बन्ध तथा हार्दिक सम्बन्धों को बढ़ाता है।

4. साम्राज्यवादी प्रभुत्व तथा आक्रमण के विरुद्ध सी.आइ.टी.यू जनता के संघर्ष की सहायता करता है और साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता के युद्धों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करता है।

5. सी.आइ.टी.यू. विश्व शांति की रक्षा के लिए,विश्व युद्ध छेड़ने के सभी साम्राज्यवादी षडयंत्रों के विरुद्ध, अणु युद्ध के विरुद्ध तथा सामूहिक विनाश के सभी अणविक एवं अन्य हथियारों के उन्मूलन के लिए संघर्ष करता है।

6. सी.आइ.टी.यू. विभिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं वाले राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए संघर्ष करता है।

7. पड़ोसी देशों से मित्रवत सम्बन्धों पर आधारित,युद्ध विरोधी तथा शांति और राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलनों की सहायक विदेशी नीति के लिए सी.आइ.टी.यू. संघर्ष करता है।

8. ट्रेड यूनियन आन्दोलनों के संयुक्त उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सी.आइ.टी.यू. अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ सहयोग करता है।

9. सी.आइ.टी.यू. अपनी इस आस्था पर दृढ़ है कि वर्ग संघर्ष के बिना कोई भी सामाजिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता और मजदूर वर्ग को वर्ग सहयोग के रास्ते पर ले जाने के सभी प्रयत्नों का वह लगातार विरोध करेगा।

जनवादी कार्य-प्रणाली

4. (a) अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सी.आइ.टी.यू. समान उद्देश्यों के संघर्ष में दूसरे केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों तथा सम्बद्ध सर असम्बद्ध यूनियनों और संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए निरन्तर प्रयास करेगा।

(b) सी.आइ.टी.यू. का विचार है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक स्तर पर संगठनों और सी. आइ.टी.यू. के प्रत्येक अंग की जनवादी कार्यप्रणाली अत्यावश्यक है।

(c) संगठन की जनवादी कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है कि सी.आइ. टी.यू. संगठनों की सामयिक बैठकों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू की जाय,उनके उत्तरदायित्वों के प्रति कर्तव्यका निर्वाह किया जाय और संविधान के अंतर्गत सामूहिक कार्य प्रणाली को लागू किया जाय।

(d) सी.आइ.टी.यू. के निकायों के भीतर अल्पमत दृष्टिकोण को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है और इसे सभी स्तरों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, संचयी मतदान पद्धति(क्युमुलेटिव वोटिंग) के द्वारा इसकी गारंटी की जानी चाहिए।

(e) सी.आइ.टी.यू के केन्द्रीय निकायों का उत्तरदायित्व है कि वे समाजवादी ढंग से राज्य समितियों के चुनावों तथा कार्यो को सुनिश्चित बनाएं। यह काम संगठन के भीतर सभी वर्गो के लिए मुक्त अभिव्यक्ति को सुनिश्चित बनाते हुए नियमानुसार किया जाना चाहिए।

(f) सी.आइ.टी.यू. की प्रत्येक राज्य समिति इसकी गारन्टी करेगी कि सम्बद्ध यूनियन अपने विधान के अनुसार जनवादी तरीके चले। सी.आइ.टी. यू. की राज्य समिति सम्बन्धित पक्षों से यूनियनों की गैर-जनवादी कार्यप्रणाली के सम्बन्द्ध में सभी शिकायतों को सुनेगी।

(g) सी.आइ.टी.यू.के निकायों के निर्णय साधारण बहुमत से लिये जायेंगे; संविधान या व्यवस्था के संशोधन या कार्यक्रम में परिवर्तन के लिए दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। साधारणतया सी.आइ.टी.यू.संगठनों का चुनाव संचयी मतदान पद्धति के आधार पर किया जायेगा।

सी.आइ.टी.यू.का गठन

5. सी.आइ.टी.यू. निम्नांकित अंगों से गठित होगा :

i) सम्बद्ध यूनियनें

ii) सी.आइ.टी.यू. के त्रिवर्षीय या विशेष अधिवेशन में एकत्र प्रतिनिधिगण।

iii) जनरल कौंसिल

iv) वर्किंग कमेटी या जनरल कौंसिल और

v) राज्य सम्मेलन, राज्य समिति तथा राज्य कौंसिल।

सी.आइ.टी.यू. अधिवेशन

6. (1) प्रत्येक तीन वर्षों में सामान्य अधिवेशन होगा। अधिवेशन को सी.आइ.टी.यू. महाधिवेशन कहा जायेगा। सी.आइ.टी.यू. का यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त अंग है और सी.आइ.टी.यू. के सभी संगठन इसी से अपने अधिकार प्राप्त करते हैं।

(2) महाधिवेशन के लिए संविधान के अन्तर्गत नियमों के अनुसार सम्बद्ध यूनियनों द्वारा प्रतिनिधि चुने जायेंगे और सी.आइ.टी.यू. के पदाधिकारियों का दर्जा निर्वाचित प्रतिनिधियों के समान होगी।

(3) सी.आइ.टी.यू. महाधिवेशन के निम्नांकित काम और अधिकार होंगे:

(a) सी.आइ.टी.यू. के कार्यक्रम और आम नीति का निर्धारण तथा उनमें इस प्रकार के परिवर्तन करना जो मजदूर वर्ग के हित के अनुरूप हो।

b) महासचिव (जनरल सेक्रेटरी) की रिपोर्ट पर बहस और उसकी स्वीकृती, कार्यसूची (एजेंडा) पर अंकित प्रश्नों से सम्बन्धित जनरल कौसिल की रिपोर्टो पर बहस और उनकी स्वीकश्ती।

(c) सम्बद्ध राज्य समितियों तथा यूनियनों द्वारा महाधिवेशन के सामने प्रस्तुत किए गए प्रश्नों की परीक्षा एवं विचार-विमर्श।

(d) मजदूर वर्ग को प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर प्रस्ताव पारित करना।

(e) यूनियनों की सम्बद्धता, उसकी असम्बद्धता तथा अन्य प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में निर्णय।

(f) जनरल कौंसिल का चुनाव।

(g) पदाधिकारियों का चुनाव,

(h) महाधिवेशन स्वयं ही अपनी कार्य सूची निर्धारित करेगा,

(i) महाधिवेशन वर्तमान संविधान में परिवर्तन या संशोधन करेगा,

(j) निर्धारित नियमों के अनुसार महाधिवेशन जनरल कौंसिल का चुनाव करेगा,

(k) आडिट किए गए हिसाब-किताब को महाधिवेशन पास करेगा,

(l) सी.आइ.टी.यू. कार्यक्रम तथा संविधान के अनुरूप महाधिवेशन अन्य निर्णय लेगा।

विशेष अधिवेशन

7. त्रिवर्षीय महाधिवेशन के बीच जनरल कौंसिल द्वारा या सी.आइ.टी.यू की समग्र सदस्य संख्या के ¼ का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की मांग पर सी.आइ.टी.यू का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है।

सी. आइ. टी. यू. के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव

8. (a) सी.आइ.टी.यू. के सामान्य या विशेष अधिवेशन के लिए महाधिवेशन के पहले जनरल कौंसिल द्वारा सभी प्रतिनिधियों के लिए प्रबन्ध करने की सम्भावना और छोटी यूनियनों के हितों की रक्षा की जरूरत को ध्यान में रखते हुए तय किये गए आधार के मुताबिक सम्बद्ध यूनियनें प्रतिनिधियों का चुनाव करेगी।

(b) सम्बद्ध यूनियन द्वारा सी.आइ.टी यू. महाधिवेशन में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने का आधार यूनियन के रजिस्टर पर दर्ज चन्दा अदा करने वाले सदस्य होगें, जैसा कि आडिटर द्वारा प्रमाणित सी.आइ.टी.यू अधिवेशन के पूर्व वाले साल में यूनियन की बैलेन्स सीट से स्पष्ट हो।

(c) सम्बद्ध यूनियनें सी.आइ.टी.यू. अधिवेशन की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पहले प्रतिनिधियों के नाम और पते सी.आइ.टी.यू. महासचिव को भेज देंगी।

(d) सचिव या अध्यक्ष द्वारा चुनाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने और प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा दो रूपये या कार्यकारिणी द्वारा तय प्रतिनिधि शुल्क दिए जाने पर ही प्रतिनिधि कार्ड दिए जायेंगे।

(e) कोई भी व्यक्ति जो सम्बद्ध यूनियन का पदाधिकारी नहीं है या उनको चन्दा देने वाला सदस्य या विशिष्ट सदस्य नहीं है, सी.आइ.टी.यू. का प्रतिनिध चुने जाने का अधिकारी नहीं होगा।

(f) सी.आइ.टी.यू. के सामान्य अधिवेशन के लिए विषय-सूची पर प्रस्ताव सम्बद्ध यूनियनों द्वारा उनके अध्यक्ष या सचिव के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा वे सी.आइ.टी.यू. अधिवेशन की निर्धारित तिथि से दो सप्ताह पूर्व महासचिव के पास पहुंच जाने चाहिए।

(g) सी.आइ.टी.यू. अधिवेशन में दूसरे कामों की अपेक्षा अधिकारिक कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।

जनरल कौंसिल

9. (A) *जनरल कौंसिल निम्न प्रकार गठित होगी।*

(i) *पदाधिकारी गण*

(ii) *महाधिवेशन की ओर से चुने गए अन्य 425 सदस्य, नियमों के अनुसार जिनका वर्णन नीचे किया गया है।*

(a) *सी.आइ.टी.यू. की कुल सदस्य संख्या जिसके आधार पर महाविधवेशन के लिये प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था; में राज्यों की कुल सदस्य संख्या के अनुपात में 425 स्थानों का वितरण राज्य समितियों को किया जाएगा।*

(स्पष्टीकरणः इन 425 सदस्यों में कार्यसमिति के 125 सदस्य शामिल होंगे जिसका वर्णन धारा 10 (1) में किया गया है।)

(aa) *प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि अपनी संख्या के अनुसार /जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, अपने राज्य के सदस्यों का चुनाव करेंगे।*

(aaa) *ऊपर बताई गई विधि के अनुसार चुने गए जनरल कौंसिल सदस्यों के नामों के लिये सी.आइ.टी.यू. महाधिवेशन के जनरल कौंसिल सैशन में स्वीकृति प्रदान की जाएगी।*

(b*)* *जनरल कौंसिल में, केवल प्रतिनिधियों को चुने जाने का अधिकार होगा, जनरल कौंसिल के सदस्यों का चुनाव सी.आइ.टी.यू. अधिवेशन में उपस्थित प्रतिनिधियों के द्वारा ही होगा ।*

(c) यदाकदा रिक्त स्थानों की पूर्ति जनरल कौंसिल द्वारा उसी राज्य से की जाएगी, जहां से स्थान रिक्त हुआ होगा।

(d) इस संविधान द्वारा निर्धारित विधि से सी.आइ.टी.यू. की जनरल कौंसिल में चुने गए प्रतिनिधि कौंसिल में ऐसे सदस्यों को को-आप्ट कर सकते हैं, जो आवश्यक रूप से ट्रेड यूनियन आन्दोलन से सम्बन्धित न हों, किन्तु उनकी उपस्थिति आंदोलन के हित में आवश्यक समझी जाय। इस प्रकार को-आप्ट किए गए सदस्यों की संख्या दस से अधिक नहीं होगी।

(e) *जनरल कौंसिल की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होंगी।*

(f) जनरल कौंसिल के एक चौथाई सदस्यों की मांग पर महासचिव, अध्यक्ष से सलाह करके, मांग प्राप्त होने के चार सप्ताहों के भीतर ही जनरल कौंसिल की विशेष बैठक मांग-पत्र में उठाए गए प्रश्न पर विचार करने के लिए बुलाएगा।

(B) *जनरल कौंसिल के अधिकार एवं कर्तव्य*

(a) *महाधिवेशन द्वारा निर्वाचित जनरल कौंसिल वर्किंग कमेटी का*

चुनाव करेगी। सी.आइ.टी.यू. के दो अधिवेशनों के बीच जनरल कौंसिल सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था होगी।

(b) जनरल कौंसिल महाधिवेशन की नीतियों और प्रस्तावों को कार्यान्वित करेगी, समय-समय पर ट्रेड यूनियन आन्दोलन की स्थिति का पुनरावलोकन करेगी और संगठन की नीतियों को आगे बढ़ाने, मजदूर वर्ग के हितों की सुरक्षा तथा उसकी कतारों को एकताबद्ध करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

(c) वर्किंग कमेटी की ओर से महासचिव तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिर्पोट पर जनरल कौंसिल विचार करेगी और यथोचित निर्णय लेगी। वह यह भी जाँचेगी कि सी.आइ.टी.यू. के संगठन संविधान के अनुरुप जनवादी ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, दुर्बलता दूर करने के लिए यथोचित कदम उठाएगी।

(d) ट्रेड यूनियन काम को विस्तारित करने के लिए, संगठन में नए मजदूरों को लाने के लिए और संयुक्त यूनियनों के निर्माण में मजदूरों की सहायता के लिए तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता लाने के लिए जनरल कौंसिल सी.आइ.टी.यू. समितियों के लिए काम की योजनाएं निर्धारित करेगी।

(e) जनरल कौंसिल समस्त भारत में सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाईयों को जोड़ेगी, संयुक्त कार्रवाईयों को विकसित करने के प्रयास करेगी। संबद्ध यूनियनों द्वारा चलाई जा रही मजदूर वर्ग की हड़ताल को सहायता और मार्ग दर्शन प्रदान करेगी, विभिन्न उद्योगों और राज्यों के मजदूरों तथा मजदूरों और कर्मचारियों के बीच सहयोगी कार्रवाईयों का विकास करेगी।

(f) कोषाध्यक्ष द्वारा पेश किए गए हिसाब-किताब की पुष्टि जनरल कौंसिल करेगी।

(g) आन्दोलन के हित में जहां आवश्यक होगा, जनरल कौंसिल शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी।

(h) जनरल कौंसिल नई यूनियानें को सम्बद्ध करेगी और उसे संविधान के नियमों के अनुसार गलत आचरण करने वाली यूनियनों को असम्बद्ध करने का अधिकार होगा।

(i) जनरल कौंसिल सी.आइ.टी.यू. के उद्देश्यों को प्रचारित करेगी, जनरल कौंसिल शासक वर्ग तथा सरकार की मजदूर वर्ग विरोधी और जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध लड़ने के ठोस निर्णय लेगी।

(j) जनरल कौसिल सी.आइ.टी.यू. के त्रिवर्षीय अधिवेशन की तिथियां और स्थान निश्चित करेगी या उसकी तिथियां और स्थान निश्चित करने के लिए वर्किंग कमेटी या सेक्रेटरी को अधिकार प्रदान करेगी।

(k) जनरल कौंसिल को सी.आइ.टी.यू. दो अधिवेशनों के बीच विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा।

(l) जब किसी पदाधिकारी का स्थान रिक्त हो, जनरल कौंसिल को उसे भरने का अधिकार होगा।

(m) आपात्कालीन स्थिति में जनरल कौंसिल को संविधान में संशोधन का अधिकार होगा।

वर्किंग कमेटी

10.1. सी.आइ.टी.यू की कार्यसमिति का गठन इस प्रकार किया जाएगा।

(a) सी.आइ.टी.यू. के सभी पदाधिकारी तथा

(b)प्रत्येक राज्यों में जनरल कौंसिल सदस्यों में से उसी विधि एवं अनुपात से चुने गये 125 सदस्य, जिसका उल्लेख धारा 9A (ii) (a)में किया गया।

(c) उपरोक्त ढंग से चुने गए राज्य समिति के सदस्यों के नामों को जनरल कौंसिल की बैठक में मंजुरी दी जाएगी।

(2) वर्किंग कमेटी की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी ।

(3) जनरल कौंसिल के दो अधिवेशनों के बीच कौंसिल की ओर से वर्किंग कमेटी काम करेगी, संविधान में संशोधन करने की बात को छोड़कर उसके अधिकार का उपयोग करेगी और उत्तरदायित्वों को निभाएगी।

(4) वर्किंग कमेटी के निर्णय जनरल कौंसिल के आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए पेश किए जायेंगे।

(5) सी.आइ.टी.यू. की कुल सदस्य संख्या के एक चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों की मांग पत्र में अंकित कार्यों के लिए वर्किंग कमेटी मांग होने के दो महीने के भीतर सी.आइ.टी.यू. का विशेष अधिवेशन बुलाने की कार्रवाई करेगी।

सी. आइ. टी. यू. के पदाधिकारी

11.1. (a) सी.आइ.टी.यू. के निम्नांकित पदाधिकारी होंगेः

(i) प्रेसीडेन्ट (सभापति)

(ii) जनरल सेक्रेटरी (महासचिव)

(iii) वाइस- प्रेसीडेन्ट्स (उपसभापति गण)

(iv) कोषाध्यक्ष और

(v) सेक्रेटरी (सचिव गण)

स्पष्टीकरणः उपाध्यक्षों तथा सचिवों की संख्या का निर्धारण प्रत्येक महाधिवेशन में किया जाएगा,

(b) एक या एक से ज्यादा प्रतिनिधियों और अनुमोदित नामांकनों की प्राप्ति पर सी.आइ.टी.यू. के त्रिवर्षीय महाधिवेशन द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव किया जायेगा। महाधिवेशन में चुने गए प्रतिनिधि या भूतपूर्व पदाधिकारी ही मनोनीत किये जा सकेंगे।

2 (a) अध्यक्ष, जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। निवर्तमान अध्यक्ष सामान्य अधिवेशन तथा अपने कार्यकाल के दौरान होने वाले अन्य किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे।

(b) महासचिव और सेक्रेटरियट (सचिव परिषद) के साथ ही वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल के निर्णयों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की है। राज्य इकाइयों से सम्पर्क बनाए रखने,हर स्तर पर सामूहिक कार्यप्रणाली की गारंटी करने, सी.आइ.टी.यू. .की नीतियों को लोकप्रिय बनाने और वर्तमान परिस्थितियों में उनका स्पष्टीकरण उन्हीं की जिम्मेदारी है।

3. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जनरल कौसिल या वर्किंग कमेटी की बैठकों में कोई उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। सी.आइ.टी.यू. के सामान्य और विशेष अधिवेशन के दौरान कामकाज चलाने में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की सहायता करेंगे और अध्यक्षमंडल के सदस्य होंगे।

4. वर्किंग कमेटी के दो अधिवेशनों के बीच सी.आइ.टी.यू.कार्रवाइयों का उत्तरदायित्व महासचिव की होगी,संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए महासचिव,अध्यक्ष और सचिवों की राय से तत्काल ले सकते हैं।

5. दो महाधिवेशनों के बीच जनरल कौंसिल और वर्किंग कमेटी द्वारा किए गए कामों की रिपोर्ट सी.आइ.टी.यू. महाधिवेशन के समक्ष महासचिव प्रस्तुत करेंगे। रिपोर्ट में राज्य इकाइयों द्वारा कामों का भी विवरण होना चाहिए। रिपोर्ट में प्रत्येक स्तर पर संगठन की सामूहिक और जनवादी कार्यप्रणाली की विशिष्ट चर्चा होनी चाहिए और सांगठनात्मक एकता को विकसित करने के कदम उठाए जाने चाहियें। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में आंदोलन की समस्याओं पर चर्चा की जानी चाहिए और उन्हें हल करने के सुझाव भी होने चाहिए जो संविधान की नीतियों और कार्यक्रम के अनुरुप हों। महासचिव या सचिव परिषद वर्किंग कमेटी तथा जनरल कौंसिल को अपने काम की रिपोर्ट देंगे।

6. कोषाध्यक्ष सी.आइ.टी.यू. की तमाम निधि (राशि)का उचित हिसाब-किताब रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उन्हें सुरक्षित रखेगा। वह इस बात की गारंटी करेगा कि सी आइ टी यू की निधि वर्किंग कमेटी के निर्णयों और सी आइ टी यू के निर्देशन के अनुसार खर्च की जाएगी। वह हर वर्ष हिसाब -किताब को आडिट कराएगा और पुष्टि के लिए वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल के सामने पेश करेगा। वह सी.आइ.टी.यू. महाधिवेशन के

सामने आडिटरों द्वारा प्रमाणित हिसाब-किताब पेश करेगा।

7. सचिव गण महासचिव की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे।

8. अध्यक्ष,महासचिव, सभी सचिव तथा अन्य पदाधिकारी सी.आइ.टी.यू. की सचिव परिषद के रूप में काम करेंगे।

9. आपत्तकालीन स्थिति में या जब जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की बैठक न बुलाई जा सके, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय वर्किंग कमेटी के सदस्यों को परिपत्र भेज कर किए जायेंगे।

बैठकों की सूचनाएं

12. (1) (a) वर्किंग कमेटी, जनरल कौंसिल की बैठकों और सी. आइ. टी. यू. के त्रिवर्षीय या विशेष अधिवेशन की सूचना(समय,स्थान और कार्य सूची) महासचिव द्वारा दी जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में कोई एक सचिव यह काम करेगा।

(b) वर्किंग कमेटी और जनरल कौंसिल की बैठकों के लिए कम से कम 15 दिन अग्रिन सूचना और सी. आइ. टी. यू. अधिवेशन के लिए कम से कम एक महीने की अग्रिम सूचना दी जायेगी।

(c) सी. आइ. टी. यू. संविधान और कार्यकम में परिवर्तन के लिए पूरे दो महीने की अग्रिम सूचना आवश्यक है।

(d) वर्किंग कमेटी की आपातकालीन बैठक 7 दिन का नोटिस देकर बुलाई जा सकती है।

(e) राज्य सम्मेलन और राज्य कमेटियों की बैठकों के लिए भी यही व्यवस्था रहेगी, राज्य कमेटी के सचिव आवश्यक नोटिस देंगे।

(2) सी. आइ. टी. यू. सम्मेलन के अधिवेशन और जनरल कौंसिल वर्किंग कमेटी, राज्य सम्मेलनों, राज्य समितियों और कौंसिलों की बैठकों का कोरम सदस्यों की संख्या का 1/3 होगा।

राज्य समितियां

13. (a) (जहां कहीं भी) सी. आइ. टी. यू. की राज्य समितियां और राज्य कौंसिल सी. आइ. टी. यू. के केन्द्रीय सस्थानों और सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाईयों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है।

(b) राज्य समितियां और कौसिल संबद्ध यूनियनों को सीधे मार्गदर्शन देने के लिए उत्तरदायी है और वे राज्य मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा, सी. आइ. टी. यू. की नीतियों को कार्यान्वित करने और ट्रेड यूनियन कार्रवाइयों को विकसित करने, समानांतर यूनियनों को एकताबद्ध करके एक उद्योग में

एक यूनियन बनाने के लिए मजदूरों को संगठित करने के लिए उत्तरदायी है।

(c) राज्य समितियां और राज्य कौंसिल राज्य की सम्बद्ध यूनियनों की कार्रवाईयों को एकजुट करने, असम्बद्ध यूनियनों की संयुक्त कार्रवाइयों के लिए काम करने और अपनी कार्रवाइयों की केन्द्रीय कार्यालय को सूचना देने के लिए उत्तरदायी है।

(d) धारा 3 में बतायी गई सी आइ टी यू की राजनीतिक नीतियों और उद्देश्यों को प्रचारित करने की उत्तरदायी राज्य समितियों और राज्य कौंसिलों का है।

(e) राज्य तथा सम्बद्ध यूनियनों की सामूहिक और जनवादी कार्यप्रणाली की गारंटी करने का उत्तरदायित्व राज्य कमेटियों और राज्य कौंसिलों की है ताकि विभिन्न यूनियनों और प्रत्येक यूनियनों के नेताओं और सदस्यों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित किए जा सकें।

(f) सी. आइ. टी. यू. अधिवेशन के साथ ही प्रत्येक दो वर्षो पर राज्य में सी आइ टी यू से सम्बद्ध सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन होगा। सम्मेलन जनरल कौंसिल की तरह ही एक राज्स कौंसिल चुनेगा, जो एक वर्किंग कमेटी का चुनाव करेगा, यदि राज्य सम्मेलन कौंसिल को अनावश्यक समझें, तो सीधे ही राज्य कमेटी चुन सकता है।

(g) राज्य सम्मेलन सचिव और कोषाध्यक्ष के अतिरिक्त ऐसे दो पदाधिकारियों का चुनाव करेगा, जिन्हें वह ठीक समझें।

(h) राज्य सम्मेलन राज्य कौंसिल या राज्य कमेटी के लिए आधार निर्धारित करेगा और कौंसिल तथा कमेटी के लिए संख्या भी निर्धारित करेगा।

(i) राज्य सम्मेलन अपने अधिवेशन में-

(1) सी. आइ. टी. यू. अधिवेशन जनरल कौंसिल तथा वर्किंग कमेटी की नीतियों के कार्यान्वियन के निर्णय लेगा, इन नीतियों के कार्यान्वयन की गारंटी करेगा और यदि कोई यूनियन उनका उल्लंघन करती है तो इसकी रिपोर्ट देगा।

(2) सचिव की रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा उनको स्वीकृति प्रदान करेगा।

(3) कोषाध्यक्ष द्वारा पेश किए गए हिसाब को स्वीकृति प्रदान करेगा।

(4) राज्य सरकार की नीति सहित सभी तात्कालिक प्रश्नों पर विचार-विमर्श करेगा तथा यथोचित निर्णय लेगा। राज्य सम्मेलन अखिल भारतीय आन्दोलनको प्रभावित करने वाले प्रश्नों पर, श्रम अधिनियमों तथा भारत सरकार की नीतियों पर विचार करेगा और जनरल कौंसिल को निर्णय का सुझाव देगा।

(5) सम्बद्ध यूनियनों की सभी कार्रवाईयों को जोड़ने, एक उद्योग में

एक यूनियन विकसित करने और राज्य में मजदूर–वर्ग के संघर्ष की पहल करने तथा उसका मार्ग दर्शन करने के लिए कदम उठाएगा तथा राज्यों के मजदूरों के साथ भाईचारे की कार्रवाई विकसित करेगा।

(6) संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार जनरल कौंसिल को यूनियनों की सम्बद्धता की सिफारिश करेगा,संविधान में बताये गए उन धाराओं पर जनरल कौंसिल को यूनियनों को असंम्बद्ध करने की सिफारिश करेगा।

(7) सी. आइ. टी. यू. राजनीतिक उद्देश्यों को सक्रियतापूर्वक लोकप्रिय करेगा और जहां आवश्यक होगा यथोचित राजनीतिक कार्यवाही के लिए निर्णय लेगा। विशेषतः वह किसान संगठनों से निकट सम्बन्ध बनाने के विशिष्ट प्रयास करेगा और भूमि तथा अच्छे वेतनों के लिए गरीब किसानों और खेत मजदूरों के संघर्ष का समर्थन करेगा।

(j) राज्य सम्मेलन के दो अधिवेशनों के बीच राज्य कौंसिल राज्य की अगुआ कमेटी के रूप में कार्य करेगी और राज्य कमेटी के विधान में संशोधन के अलावा अन्य मामले में राज्य सम्मेलन की सभी जिम्मेदारियां निभाएगी और उसके अधिकार पाएगी।

(k) राज्य कौंसिल के दो अधिवेशनों के बीच में राज्य कमेटी काम करेगी और उसके उत्तरदायित्व पूर्ण करेगी तथा उसके अधिकारों को पूरित करेगी।

(l) राज्य समिति की बैठक कम से कम दो महीनों में एक बार और राज्य कौंसिल की मीटिंग चार महीनों में एक बार होगी।

(m) राज्य से सम्बद्धता के सभी आवेदनों पर राज्य समिति विचार करेगी और उन पर अपनी सिफारिश सी. आइ. टी. यू. कार्यालय को प्रेषित करेगी, इस प्रकार का आवेदन राज्य समिति द्वारा प्राप्ति के दो महीनों के भीतर महासचिव को भेजा जाएगा।

(n) राज्य कौंसिल द्वारा अपनी कार्यवाही के लिए संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप उपनियम बनाये जा सकते है।

(o) राज्य समिति या कौंसिल किसी क्षेत्र की ट्रेड यूनियन कार्यवाईयों को सुसंम्बद्ध करने के लिए और सी. आइ. टी. यू. के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए जहां आवश्यक हो जिला शहर और रीजनल कौंसिल के गठन की अनुमति दे सकती है।

यूनियनों की सम्बद्धता

14. (a) यदि निम्नांकित शर्तें पूरी हों तो सी. आइ. टी. यू. किसी भी नियमित यूनियन को अपने से सम्बद्ध कर सकता है।

(i) सम्बद्धता की मांग करने वाली यूनियन निर्धारित फार्म पर अपना आवेदन देगी।

(ii) इन नियमों की व्यवस्था के अनुसार वह प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क देगी।

(iii) वह अपने विधान की एक प्रति, पदाधिकारियों की एक तालिका,आडिट किया सालाना हिसाब-किताब जिसमें चन्दा देने वाले सदस्यों की औसत संख्या और अन्य ऐसी सूचना देगी जिसे सी. आइ. टी. यू. के महासचिव मांगें;

(iv) जहां भी राज्य समिति हो, सम्बद्धता आवेदन राज्य समिति द्वारा सी. आइ. टी. यू. के महासचिव को भेजा जाएगा। ऐसे आवेदन राज्य समितियों द्वारा प्राप्ति के दो महीनों के भीतर महासचिव को समिति की टिप्पणियों के साथ भेज दिये जायेंगे, जिसमें सी.आइ.टी.यू. संविधान के अनुसार यूनियन की सम्बद्धता की क्षमता दर्शायी जाएगी;

(v) सी.आइ.टी.यू. से सम्बद्धता की इच्छुक यूनियन अपने सदस्यों से माहवारी,तिमाही,छमाही या सालाना कम से कम 3 रूपये सालाना सदस्यता का चन्दा उगाएगी;

(b) सी.आइ.टी.यू. की वर्किंग कमेटी को किसी ट्रेड यूनियन की सम्बद्धता के आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर देने का अधिकार होगा, बर्शेते कि असन्तुष्ट यूनियन को जनरल कौंसिल या सी.आइ.टी.यू. के विशेष अधिवेशन से अपील का अधिकार हो।

<u>सम्बद्धता शुल्क</u>

15. प्रत्येक सम्बद्ध यूनियन सी.आइ.टी.यू. को:

(a) प्रत्येक सदस्य के आधार पर वार्षिक एक रुपये के हिसाब से सम्बद्धता शुल्क देगी। बन्धन यह होगा कि यह शुल्क 40 रूपये से कम न होगा,

(b) सीटू मुखपत्र वर्किंग क्लास/ सीटू मजदूर का वार्षिग चन्दा देगी,

(c) कामकाज को सुचारु रूप से चलाने के लिए जनरल कौंसिल या/और राज्य समितियों द्वारा निर्धारित सभी लेवी देगी,

(d) ऊपर के (a), (b) तथा (c) में देय तीनों राशियां सम्बद्धता शुल्क का ही अभिन्न भाग होगी।

16. (1) सम्बद्धता शुल्क प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अदा कर दिया जाएगा, विशेष चन्दा या लेवी जब लगाया जाएगा तब अदा किया जाएगा, सम्बद्धता शुल्क अदा न होने पर कर्त्तव्यच्युत यूनियन जब तक अदाएगी न

कर दे, सी.आइ.टी.यू. या उसके किसी संगठन में वोट देने या भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। शर्त यह रहेगी कि वर्किंग कमेटी विशेष स्थिति में, कारणों को लिखकर, इस प्रकार की पाबंदी हटा देगी।

(2) सम्बद्धता शुल्क की गैर-अदायगी के कारण आयोग्य घोषित यूनियन अपना बकाया और वर्तमान शुल्क अदा करने पर फिर से सम्बद्ध की जा सकती है।

(3) धारा (1) के अन्तर्गत किसी यूनियन के आयोग्य घोषित हो जाने पर अयोग्यता 12 महीने से कम की न होगी। महासचिव एक नोटिस द्वारा उस तिथि तक सभी बकाया राशियों की तीन महीने के भीतर अदायगी की मांग कर सकता है। यदि निर्धारित समय के अन्दर यूनियन अपना बकाया नहीं अदा करती तो वह असम्बद्ध की जा सकती है। स्पष्ट कारणों से जनरल कौंसिल विशिष्ट यूनियनों के बकाया आंशिक रूप से या पूरी तरह से छोड़ सकती है।

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव

17. विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और बैठकों के लिए प्रतिनिधि साधारणतया जनरल कौंसिल या वर्किंग कमेटी की चालू बैठकों में चुने जायेंगे। अत्यावश्यक होने पर या जब जनरल कौसिल या वर्किंग कमेटी की मीटिंग न बुलायी जा सकती हो, वर्किंग कमेटी के सदस्यों को परिपत्र भेजकर निर्णय लिया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बद्धता

18. सी.आइ.टी.यू ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्बद्ध हो सकता है जिनके समान उद्देश्य हों।

वित्त

19. सी.आइ.टी.यू. का कोष बैंक में रहेगा और वर्किंग कमेटी को ऐसे पदाधिकारियों को नामजद करने का अधिकार होगा, जिनमें एक कोषाध्यक्ष अवश्य होगा, जिन्हें बैंक- एकाउंट खोलने तथा चालू करने का अधिकार होगा।

अनुशासनात्मक कार्यवाही

20. (a) *जनरल कौंसिल को ऐसी किसी भी यूनियन को असम्बद्ध कर देने का अधिकार होगा, जो अपनी सम्बद्धता फीस देने में कोताही करती हो या जो जानबूझकर सी. आइ. टी.यू. के हितों और विधान के खिलाफ काम कर रही हो।*

(b) मजदूर वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी पदाधिकारी को हटाने का अधिकार जनरल कौंसिल को होगा। इसी प्रकार किसी सदस्य के विरुद्ध जो ऐसे काम का अपराधी हो कार्यवाही करने का अधिकार जनरल कौंसिल का होगा। इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही के पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को अपने व्यवहार के लिए सफाई देने का अधिकार दिया जायेगा।

(c) राज्य समितियों तथा दूसरे संगठनों को अपने सदस्यों के बारे में कार्रवाई करने का इसी प्रकार अधिकार होगा।

(d) जनरल कौंसिल या राज्य कौंसिल द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध व्यक्तियों तथा यूनियन को सी.आइ.टी.यू. सम्मेलन से अपील करने का अधिकार होगा।

(e) सी.आइ.टी.यू. की नीतियों के विरुद्ध काम करेन वाले या फिर निष्क्रियता के कारण या अन्य कारणों से अपने जिम्मेदारियों को न निभा पाने के लिए जिम्मेदार राज्य समितियों एवं राज्य कौंसिल को, दो तिहाई बहुमत के बल पर, भंग करने या पुनर्गठित करने का जनरल कौंसिल को अधिकार होगा। इस तरह के कार्रवाई से पहले जनरल कौंसिल को सम्बन्धित राज्य समिति या राज्य कौंसिल की बैठक बुलाना होगा ताकि उनके सदस्यों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके। इस तरह के कार्यवाही के छः महीने के भीतर जनरल कौंसिल के नयी राज्य समिति या/ और राज्य कौंसिल के चुनाव के लिए उस राज्य की यूनियनों का सम्मेलन बुलाना होगा।

उपनियम

21. जनरल कौंसिल को ऐसे उपनियम बनाने का अधिकार होगा जो संविधान से असंगत न हो।

जून 2004 मूल्य : 2/-

एम के पंधे, द्वारा भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के लिए 13-ए, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-95 से मुद्रित